



फा.सं.10-1/2002/परिसर एवं कल्याण 11634-1660

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

(परिसर एवं कल्याण अनुभाग)

दिनांक: 15.03.2017

**अधिसूचना****विषय:** भारत के महानगरों में रिहायशी आवास के अप्राधिकृत कब्जे के लिए हर्जाना दरों का संशोधन।

संपदा निदेशालय, भारत सरकार के का.जा.सं. 18011/212006/पीओएल.।।। दिनांक 22 जुलाई, 2016 के अनुसरण में दिल्ली में एनआईई परिसर और पप्पनकलां, नसीरपुर परिसर के रिहायशी आवास के अप्राधिकृत अधिभोगियों से वसूले जाने हेतु हर्जाने की दर को दिनांक 01.07.2016 के प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

(1) टाइप I से V और छात्रावासीय आवास हेतु हर्जाना दरें

महानगर	आवास का प्रकार	01.07.2016 (फा.सं. 10-1/2002/परिसर एवं कल्याण दिनांक 16.09.2013 द्वारा अधिसूचित) से पूर्व लागू हर्जाना दरें	प्रथम माह के लिए दिनांक 01.07.2016 से संशोधित दरें (लाइसेंस शुल्क के गुणज में)
दिल्ली	i) टाइप-I से टाइप-IV	40 गुना	40 गुना
	ii) टाइप-IV(विशेष) से टाइप-V और छात्रावास	50 गुना	50 गुना

(2) नियमित आवास/छात्रावास से स्वतंत्र आबंटित नौकर आवास एवं गैराज के लिए हर्जाना दरें

क्रम.सं.	आवास का प्रकार	01.01.2013 से पूर्व लागू हर्जाना दरें	प्रथम माह के लिए दिनांक 01.07.2016 से संशोधित दरें (लाइसेंस शुल्क के गुणज में)
1	नौकर आवास	50 गुना	50 गुना
2	गैराज	50 गुना	50 गुना

(3) सामान्य पूल रिहायशी आवास के प्रत्येक टाइप के अप्राधिकृत कब्जे के लिए हर्जाना दर दूसरे माह से टेलीस्कोपिक प्रणाली से बढ़ेगी अर्थात् दूसरे माह हेतु - हर्जाना + हर्जाना दर का 10%; तीसरे माह हेतु - हर्जाना + हर्जाना दर का 20%; चौथे माह हेतु - हर्जाना+ हर्जाना दर का 40%; और इसी प्रकार आगे भी जब तक कि सामान्य पूल रिहायशी अप्राधिकृत अधिभोगी द्वारा आवास खाली न कर दिया जाए। इसे नीचे दर्शाया गया है:-

क्र.सं.	टाइप	लाइसेंस शुल्क (रु में)	हर्जाने की दर	हर्जाना (रु)	हर्जाना + 10% (रु)	हर्जाना +20% (रु)	हर्जाना +160% (रु)	हर्जाना +320% (रु)	5 गुना हर्जाना (रु)	5 गुना हर्जाना (रु)
				प्रथम माह	दूसरा माह	तीसरा माह	छठा माह	सातवाँ माह	8वाँ माह	12वाँ माह
1	I	135	40 गुना	5400	5940	6480	14040	22680	27000	27000
2	II	245	40 गुना	9800	10780	11760	25480	41160	49000	49000
3	III	370	40 गुना	14800	16280	17760	38480	62160	74000	74000
4	IV*	500	40 गुना	20000	22000	24000	52000	84000	100000	100000
5	IV	625	40 गुना	25000	27500	30000	65000	105000	125000	125000
6	V	875	50 गुना	43750	48125	52500	113750	183750	218750	218750
7	V(डुप्लैक्स)	1065	50 गुना	53250	58575	63900	138450	223650	266250	266250
8	निदेशक बंगला	1835	55 गुना	100925	111017.5	121110	262405	423885	504625	504625
9	गैराज	35	50 गुना	1750	1925	2100	4550	7350	8750	8750

नोट\* - पप्पनकनां नसीरपुर परिसर, नई दिल्ली में स्थित एनसीईआरटी आवास

(4) दिनांक 01.07.2016 के प्रभाव से प्रमाणित सिद्ध हुए उपकिराएदारी मामलों में अप्राधिकृत कब्जे के लिए 01.07.2016 को सभी अप्राधिकृत अधिभोगियों और जो अब से अप्राधिकृत अधिभोगी घोषित किया जाएगा उस पर टेलीस्कोपिक प्रणाली लागू की जाएगी। प्रथम माह के लिए हर्जाना दरों की गणना हर्जाना से दो गुना; दूसरे माह हेतु हर्जाना का दो गुना + दोगुना हर्जाना का 10%; तीसरे माह हेतु दो गुना हर्जाना + दोगुना हर्जाना का 20%; चौथे माह हेतु दोगुना हर्जाना + दोगुना हर्जाना का 40% और इसी प्रकार आगे गणना की जाएगी।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न: स्वामी हैण्डबुक न्यूज की प्रति सहित पत्र की प्रति।

  
(अवर सचिव)

परिवार एवं कल्याण अनुभाग

प्रतिलिपि :

1. परिषद मुख्यालय के सभी विभाग / इकाइयों / अनुभाग
2. मुख्यलेखा अधिकारी, एनसीईआरटी
3. सभी उप सचिव सीआईईटी सहित
4. प्रशासनिक अधिकारी, प्रकाशन विभाग
5. परिषद के सभी स्थापना अनुभाग सीआईईटी सहित
6. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर / भोपाल / भुवनेश्वर / मैसूर और एनईआरई, शिलांग
7. उप सचिव, PSSCIVE, भोपाल
8. व्यापार प्रबन्धक, आरपीडीसी अहमदाबाद / बंगलोर / कोलकाता / गुवाहाटी
9. सहायक सचिव से निदेशक एनसीईआरटी
10. सहायक सचिव से संयुक्त निदेशक, सीआईईटी
11. सहायक सचिव से संयुक्त निदेशक, पी.एस.एस.सी.आइ.वी.ई., भोपाल
12. सहायक सचिव से सचिव, एनसीईआरटी
13. सभी सूचना बोर्ड

  
(अवर सचिव)

परिवार एवं कल्याण अनुभाग